व्यवसाय योजना

बुनाई (KNITTING)

शक्ति स्वयं सहायता समूह (बिष्ट बेहड़ उप-समिति)

जैवविविधता प्रबंधन कमेटी	कराडसू
उप-समिति	बिष्ट बेहड़
ग्राम पंचायत	काईस
वन तकनीकी इकाई	वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली
मण्डलीय प्रबंधन इकाई	वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू
वन वृत्त समन्वय इकाई	GHNP वृत्त, शमशी

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना
(जाईका वित्तपोषित)

विषय सूचि

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	3-4
2	स्वयं सहायता समूह की जानकारी	4-5
3.	ग्राम की भौगोलिक स्थिति	5
4.	समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष	5-8
5.	आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पाद का विवरण	8
6.	उत्पादन की प्रक्रिया	8-9
7	उत्पादन हेतु नियोजन	10
8	विपणन	10
9	श्रम का वितरण	11
10	शक्ति अवसर व जोखिम का ,दुर्बलता ,विश्लेषण	11-12
11	**उघम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/ आकलन :**	
	अ. पूंजीगत व्यय	12
	ब. आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए)	12-13
	स. उत्पादन की लागत (एक चक्र के लिए)	14
	द. विक्रय मुल्य की गणना / आंकलन	14
12	उघम हेतु लागत – लाभ विश्लेषण: (एक चक्र के लिए)	15
13	समूह की वित्तीय आवश्यकता	15
14	समूह की वित्तीय संसाधन	16
15	सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन प्वाइंट) की गणना	16
16	**धनराशी की व्यवस्था**	15-16
17	स्वयं सहायता समूह के नियम	16-17
18	समूह का सहमति पत्र व मण्डल प्रबन्धन इकाई की स्वकृति	18
19	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ	19

1. कार्यकारिणी सारांश

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय में स्थित है। यह राज्य कुदरती सुंदरता और समृद्धि, संस्कृति व धार्मिक धरोहर से भरपूर है। राज्य में विविध पारितंत्र, नदियों, घाटियों पाई जाती है। इसकी आबादी 70 लाख के करीब है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग कि० मी० है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाडियों से लेकर मध्य हिमालय का क्षेत्र के ऊँचाई व और ठंडे जोन का क्षेत्र पाया जाता है। राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिले में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) के सहयोग से चलाई जा रही है। जिसमे कुल्लू जिला भी शामिल है। वन्यप्राणी मंडल कुल्लू में कुल्लू व मनाली परिक्षेत्रों में परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में उप-समितियां बनाई गई हैं और इन उपसमितियों में प्रत्येक उप-समिति में दो-दो स्वयं सहायता समूह, जिनमें अधिकतर महिला सदस्य हैं, बनाये गए हैं।

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका प्रारंभ होने पर जैवविविधता प्रबंधन कमेटी कराडसू के बिष्ट बेहड़ उप-समिति की सूक्षम योजना बनाई गयी है। इस उप-समिति में महिलाओं के दो स्वयं सहायता समूह गठित किये गए जिनमें से शक्ति समूह की महिलाओं ने अपनी आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी, मुफलर,कोटी आदि की बुनाई (Knitting) करने की गतिविधि का चयन किया।

उप-समिति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है परन्तु अधिकतर परिवारों की औसत भूमि बहुत कम है। अन्य संसाधन कम व दूर होने के कारण विशेषकर महिलाओं की आय में अपेक्षित बढोतरी नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोग मुख्यता गेहूं, मक्की, जौ व दालों की खेती करने के साथ सब्जी उत्पादन तथा सेब, प्लम, खुमानी इत्यादि नकदी फसले उगाते हैं। परन्तु आय का अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए स्वयं सहायता समूह शक्ति ने सिलाई व कटाई का कार्य करके अपनी आजीविका बढाने का निर्णय लिया है। स्वयं सहायता समूह का 12.03.2021 को गठन किया गया है। इस समूह में कुल 13 सदस्य हैं और सभी महिलाएं है। इस समान रूचि समूह ने विस्तार से चर्चा करने के उपरांत स्थानीय प्रचलन एवं नवीनतम फ़ेशन के अनुसार धागों से निर्मित महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के गरम वस्त्रों की बुनाई करने का निर्णय लिया है।

वैसे तो अधिकतर महिलाएं हाथ से बुनाई में दक्ष होती हैं, परन्तु परियोजना की सहायता से प्रारम्भ में स्वेटर, जुराब, टोपी, कोटी, मफ़लर आदि की मशीनों पर बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसपर लगभग 3200 रु की राशी प्रति सदस्य पर एक महीने के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। समूह में छ महिलाएं सामान्य श्रेणी से तथा सात महिलाएं अनुसूचित जाति से हैं परन्तु सभी आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से सम्बन्ध रखती हैं अतः पूंजीगत व्यय का 75% भाग भी परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त

1,00,000/- रिवोलविंग फण्ड दिया जाएगा। रिवॉल्विंग फण्ड से उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण लेने में सहायता मिलेगी या आवर्ती व्यय का प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये महिलाएं बैंक ऋण लेने में संकोच कर रही हैं। अतः इन्होंने आवश्यक पूंजीगत व्यय को नकद जमा करके स्वयं उठाने का निर्णय लिया है। समूह ने तय किया है कि सभी सदस्य नियम व शर्तों के हिसाब से कार्यों का आपसी वंटवारा करेगे तथा समान रूप से कार्य के अनुसार लाभांश का वंटवारा करेंगे। वन्य प्राणी अभ्यारण्य काईस में परियोजना की तरफ से सातोयामा (*SATOYAMA*) के माध्यम से भी पारिस्थितिकी तंत्र व आजीविका में सुधार में अतिरिक्त रूप से प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें अन्य कार्यों के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा मशीनों का प्रवधान सातोयामा के अंतर्गत किया गया है।

सदस्यों के पास आय सृजन की इस गतिविधि पर काम करने के किये नवम्बर से मार्च महीनों पर्याप्त समय होगा जबकि अन्य महीनों में खेती से सम्बंधित काम चरम पर होने के कारण सर्दी के महीनों की तुलना में कम समय मिलेगा। इस प्रकार से समूह के सदस्य औसतन प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर आजीविका बढ़ाने की इस गतिविधि को चलाएंगी ।

2. स्वयं सहायता समूह की जानकारी

2.1	स्वयं सहायता समूह का नाम	शक्ति
2.2	स्वयं सहायता समूह का एम. आई. एस. कोड	–
2.3	जैवविविधता प्रबंधन कमेटी का नाम	बिष्ट बेहड़
2.4	वन तकनीकी इकाई	वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली
2.5	मण्डलीय प्रबंधन इकाई	वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू
2.6	गाँव	बिष्ट बेहड़
2.7	विकास खण्ड	नग्गर
2.8	ज़िला	कुल्लू
2.9	समूह के सदस्यों की संख्या	13
2.10	समूह के गठन की तिथि	12.03.2021
2.11	समूह के मासिक वचत की दर	50/-
2.12	बैंक तथा शाखा का नाम	पंजाब नेशनल बैंक,सेऊबाग
2.13	बैंक खाता संख्या	243000100210874
2.14	समूह की कुल वचत	₹ 6000/-
2.15	समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया ऋण	-
2.16	समूह के सदस्यों द्वारा वापिस किये ऋण की स्थिति	-

शक्ति (बिष्ट बेहड़ उप-समिति) समूह के सदस्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

क्र.सं	सदस्य का नाम व पता सुश्री/श्रीमती	पिता/ पति का नाम श्री	पद	गाँव	आयु	लिंग	श्रेणी	संपर्क
1	पुष्पा देवी	जितेन्द्र	प्रधान	बिष्ट बेहड़	26	स्त्री	अनु.जाति	8219605413
2	मीना देवी	पीताम्बर	सचिव	बिष्ट बेहड़	31	स्त्री	सामान्य	7807504647
3	दासी देवी	सुशील कुमार	कोषाध्यक्ष	बिष्ट बेहड़	30	स्त्री	अनु.जाति	8219466012
4	गीरू देवी	भोले राम	सदस्य	बिष्ट बेहड़	38	स्त्री	अनु.जाति	9459106399
5	दोमा देवी	सुनील कुमार	सदस्य	बिष्ट बेहड़	39	स्त्री	अनु.जाति	8219567776
6	कमला देवी	खिमी राम	सदस्य	बिष्ट बेहड़	47	स्त्री	अनु.जाति	9816711640
7	कल्पना	हरी दास	सदस्य	बिष्ट बेहड़	30	स्त्री	अनु.जाति	8580898123
8	हीमा देवी	पुत्री लाल चन्द	सदस्य	बिष्ट बेहड़	25	स्त्री	अनु.जाति	6230693305
9	सपना	यशवंत	सदस्य	बिष्ट बेहड़	26	स्त्री	सामान्य	6230627128
10	चंद्रा देवी	प्रेम चन्द	सदस्य	बिष्ट बेहड़	28	स्त्री	सामान्य	8580979065
11	तुशला	तेजिंदर	सदस्य	बिष्ट बेहड़	31	स्त्री	सामान्य	7807499832
12	कौशल्या	संजय ठाकुर	सदस्य	बिष्ट बेहड़	27	स्त्री	सामान्य	9805806759
13	अंजलि ठाकुर	पवन	सदस्य	बिष्ट बेहड़	21	स्त्री	सामान्य	7876604414

3. गाँव की भौगोलिक स्थिति

3-1	ज़िला मुख्यालय से दूरी	10 किलोमीटर
3-2	मुख्य सड़क से दूरी	4 किलोमीटर
3-3	स्थानीय बाज़ार का नाम व दूरी	कुल्लू 10 किलोमीटर भुन्तर 20 किलोमीटर
3-4	मुख्य बाज़ार से दूरी	कुल्लू 10किलोमीटर भुन्तर 20 किलोमीटर मनाली 34 किलोमीटर
3-5	अन्य मुख्य शहरों व कस्वों से दूरी	पतलीकूहल 25 किलोमीटर
3-6	बाज़ार जहाँ उत्पादों की विक्री की जाएगी	भुन्तर, कुल्लू, मनाली, पतलीकूह, काईस
3-7	गाँव से सम्बन्धित अन्य कोई विशिष्टता जो समूह की गतिविधि से सम्बंधित हो	अधिकतर महिलाएं हाथ की बुनाई का काम जानती हैं

4. समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष

(क) व्यवसाय योजना की आवश्यता क्यों ?

बिष्ट बेहड़ गाँव में जो कि जैवविविधता प्रबंधन कमेटी कराडसू की उप-समिति बिष्ट बेहड़ में पड़ता है, में महिलाओं का पहले से कोई भी समूह नहीं था। परियोजना के कार्य की शुरुआत में लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें परियोजना में इस प्रकार के समूह को परियोजना द्वारा प्रोत्साहन की व्यवस्था के बारे बताया गया व महिलाओं के रूचि दिखने पर परियोजना में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। जिसमे एक शक्ति समूह की सभी महिलाएं बुनाई का काम करके अपनी आजीविका को बढाना चाहती है। समूह की अधिकतर महिलाये पहले से हाथ की सिलईओं से बुनाई का कार्य करती है। बुनाई की मशीनों से प्रत्येक वस्तु को बनाने में कम समय लगेगा। महिलाओं के पास बुनाई की मशीन नहीं है और न ही मशीन की बुनाई में प्रशिक्षित है। इन कारणों से अपनी आजीविका को इस कार्य में लगे समय के अनुपात में नहीं बढ़ा पा रही है। इसीलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से परियोजना से बुनाई की मशीनों तथा उन मशीनों पर उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

(ख) व्यवसाय योजना के उदेश्य :

- समूह की सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पाद को उचित बाज़ार से जोड़ना।
- सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- बुनाई की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढावा देना।
- आजीविका की बढोतरी।

(ग) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैं :

महिला व पुरुषों के स्वेटर, कोटी, जुराब, मफ़लर, टोपी, बच्चों के गरम वस्त्र आदि की मशीन पर बुनाई करेंगे।

(घ) व्यवसाय योजना के कार्यों का विवरण :

(1) सामुदायिक गतिशीलता : इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलन के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थीयों की छंटनी की गयी है।

(2) समूह का निर्माण : स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया है तथा समूह का अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह की सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम एवं शर्ते निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(3) क्षमता का निर्माण : लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है जिस पर होने वाले व्यय का प्राबधान परियोजना द्वारा किया जाएगा।

(4) सिलाई मशीन इत्यादि का वितरण : समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म की मशीने उपलब्ध करवाई जाए ताकि कम समय में अधिक कार्य कर सके तथा विक्रय योग्य सफाई भी उत्पादों में दिखे ।

(5) बाज़ार से जोड़ना : महिलाओं के अनुसार प्रारंभ में वे अपने गाँव तथा आस पास के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए तथ बच्चों के लिए बुनाई का काम करेंगी। जिससे उनके समूह की आय होने लगेगी। इस के पश्चात् वे बाज़ार से मांग के अनुसार अलग अलग तरह के डिजाईन के पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के लिए गरम धागों से बुने वस्त्र बना कर निकट के बाज़ारों में बेचेंगी। अपने उत्पाद को बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजि सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबध स्थापित करने लिए तैयार है।

(6) वितीय संस्थानों एवं संबधित विभागों से जोड़ना : व्यवसाय को आगे बढाने के लिए समूह को वितीय संस्थानों से जोड़ने का पर्यास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया गया है तथा ऋण लेने की अवस्था में परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा। ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5% हिस्सा भी परियोजना की और से सीधे बैंक को चुकाया जायेगा।

(7) बाज़ार की जानकारी : सिले सिलाये परिधानों को मांग के अनुसार बनाने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा आस पास के गाँव में और निकट के कस्बों में विक्रय किया जायेगा ।

(8) निगरानी का तरीका : व्यवसाय योजना शुरू होने से पहले लाभार्थियों का आधार रेखा सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके हर छ: महीने अथवा साल के बाद निम्न मापदण्डों पर आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा :

- क. मांग में बढ़ोतरी व बाज़ार में उत्पादन की स्वीकार्यता।
- ख. बेचे गए उत्पाद में बढ़ोतरी।
- ग. समूह के सदस्यों द्वारा उनकी गतिविधि में दिए जाने वाले औसत समय में वृद्धि।
- घ. समूह/ प्रति सदस्य आय में बढ़ोतरी।

उप-समिति की कार्यकारिणी एवं उप-समिति की सामाजिक लेखापरीक्षण कमेटी (Social Audit Committee) समय समय पर समूह की गतिविधि के आकलन करते रहेंगे।

(9) अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :

- क. पूंजीगत व्यय का 75% या 50% श्रेणी अनुसार परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी, शेष भाग सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवर्ती व्यय को समूह अपनी वचत

राशी से, रिवॉल्विंग फण्ड से अथवा बैंक ऋण ले कर कार्य को आगे बढ़ाएगा।

ख. कुल कार्यकर्ता 13 सदस्य

ग. तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर ट्रेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्राबधान किया जाएगा।

(10) अनुमानित लाभ :

क महिलायों के लिए गाँव स्तर पर रोज़गार उपलब्ध होगा।

ख इस गतिविधि पर अन्य व्यस्तताओं से निकले गए थोड़े बहुत समय को उनकी कमाई में उसी अनुपात में वृद्धि करने की सुविधा देगा।

ग समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका के साधन में वृद्धि का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।

5. आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पादों का विवरण

5.1	उत्पाद का नाम	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि
5.2	उत्पाद की पहचान की पद्वति	बाज़ार की मांग तथा समूह में विचार विमर्श
5.3	स्वय सहायता समूह/समान रूचि समूह के सदस्यो की सहमति	सहमति पत्र संलगन है।

6 उत्पादन की प्रकिया का विवरण

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि की बुनाई का प्रशिक्षण किसी कुशल संस्था अथवा संसथान द्वारा दिया जाएगा । शक्ति समूह के 13 सदस्य यह कार्य करेंगी । प्रशिक्षण के उपरान्त समूह इस कार्य को मांग के अनुसार अधिक स्तर पर करेंगी ।

1. <u>कोटी</u>: - समूह के 3 सदस्य डिजाईन वाली कोटी की बुनाई का कार्य करेंगे । अनुमान है कि प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 कोटी तैयार करेगा। इस प्रकार से तीन सदस्य एक माह में 45 कोटियाँ बना सकती हैं।

2. <u>स्वेटर</u>: – समूह के 3 सदस्य डिजाईन वाली स्वेटरों की बुनाई का कार्य करेंगी । प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 स्वेटर तैयार करेंगे। इस प्रकार से तीन सदस्य एक माह में 45 स्वेटर बना सकती हैं।

3. <u>बच्चों के सेट</u>: – समूह के 3 सदस्य डिजाईन वाले बच्चों के सेट की बुनाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 2 बच्चों के सेट तैयार करेगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 180 सेट बना सकती हैं।

4. <u>जुराबे</u>: – समूह के दो सदस्य डिजाईन वाली जुराबों की बुनाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 4 जुराबों के जोड़े तैयार करेगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 240 जुराबों के जोड़े बना सकती हैं।

5. <u>टोपी</u>: – समूह के दो सदस्य डिजाईन वाली टोपी की बुनाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 4 टोपी तैयार करेगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 240 टोपियाँ बना सकती हैं।

7. उत्पादन हेतु नियोजन

7.1	प्रति माह कार्य दिवस	30 दिवस (2 दिन औसतन 4-5 घंटे = 1 दिहाड़ी)
7.2	प्रति माह काम करने वाले व्यक्ति	13 महिलाएं (195 दिहाडीयां)
7.3	कच्चे माल का स्रोत	कुल्लू
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	कुल्लू

8 विपणन

8.1	संभावित कार्यक्षेत्र	समीप के गाँव व समीप के बाज़ार काईस, कुल्लू, पतलीकूहल
8.2	संभावित कार्यों का अनुमान	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि
8.3	ऋतू परिवर्तन अनुसार कार्य की संभावना	यह कार्य साल भर होगा यद्यपि गर्मियों के लगभग चार माह मांग कम होगी ।
8.4	चिन्हित ग्राहक	गाँव व कस्बों की महिलाऐं, पुरुष व बच्चे। अधिकांश तैयार वस्तुओं के क्रेता पर्यटक होंगे।

8.5	कार्य की उपलब्धता हेतु रणनीति	सीधा सम्पर्क व स्थापित हस्तकला के शो रूम, दुकानों में उत्पाद की विक्री या बुनाई का काम लेना होगा।
8.6	प्राथमिकतायें	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि। इस के अतिरिक्त गरम धागों के मफ़लर, स्कार्फ़ आदि की बुनाई भी मांग के अनुसार करेंगी।

9. श्रम का वितरण

समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यो का बटवारा करेंगे तथा किये गये कार्य के अनुपात में प्राप्त आय का वितरण करेंगे। इस समय विचार है कि स्वयं सहयता समूह के सभी सदस्य हर प्रकार का काम करेंगे परन्तु बाज़ार की मांग के अनुसार बुनी जाने वाली वस्तुओं में क्या क्या बुनना है, निर्भर करेगा। इस व्यवसाय योजना में तैयार किये जाने वाले वस्तुओं की संख्या सांकेतिक मात्र है जो बाज़ार की मांग के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य का बटवारा एवं प्रत्येक सदस्य की रूचि, दक्षता तथा दिए जाने वाले समय पर निर्भर करेगा । सभी सदस्य बारी बारी लेन देन का हिसाब रखेंगे।

10 . शक्ति, दुर्बलता, अवसर व जोखिम का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति :

1. सभी समूह सदस्य सामान व् अनुकूल सोच रखते है।
2. समूह के एक सदस्य छोटे पैमाने पर बुनाई का कार्य करेंगे।

दुर्बलता:

1. स्वयं सहायता समूह के लिए नया काम है ।
2. समूह में मशीन पर कार्य करने का अनुभव नहीं है।

अवसर:

1. समूह को बड़े स्तर पर काम मिल सकता है यदि वे सफाई, गुणवत्ता आदि पर ध्यान रखे।
2. स्थानीय बाज़ारों में गरम वस्त्रों की मांग ठंडा क्षेत्र होने तथा पर्यटकों का आवागमन होने के कारण अधिक है।
3. परियोजना द्वारा बुनाई की मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति तथा गरीब सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 75% तथा सामान्य श्रेणी महिला को 50% सहायता उपलब्ध है ।
4. परियोजना द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण मौके पर दक्ष प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा करवाया जाएगा।

जोखिम:

1. समूह में आन्तरिक टकराव होने पर समूह का कार्य प्रभावित हो सकता है।
2. मांग व पारदर्शिता के अभाव में समूह टूटने की सम्भावना हो सकती है।
3. फेशन के अनुसार परिवर्तन न करें तो काम की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
4. अनुभवी व कुशल कारीगरों से स्पर्धा में खरे उतरना होगा।

11. उद्यम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना का आकलन:

अ) पूंजीगत व्यय

क्र. सं	गतिविधि	संख्या	अनुमानित मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश	लाभार्थी अंश
1	स्वचालित बुनाई मशीन	12	22,000	2,64,000	1,98,000	66,000
2	साधारण बुनाई मशीन	1	10,000	10,000	7,500	2,500
	योग	**13**		**2,74,000**	**2,05,500**	**68,500**

* अन्य छोटा आवश्यक समान महिलाएं स्वयं उपलब्ध कर रही हैं।

* उपरोक्त पूंजीगत व्यय का लाभार्थी अंश नकदी के रूप में स्वयं वहन करेंगे I

(ब) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए एक महीना लिया गया है)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशी
1.	परिवहन खर्चा	प्रति माह		L/S	500
2.	कमरे का किराया	प्रति माह		L/S	1000
क) कोटी (45 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	30	625	18750
2	अन्य बटन आदि		45	L/S	400
3	मजदूरी	दिहाडी	45	275	12375
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5 रु. प्रति		45	5	225
	कुल				**31750**
ख) स्वेटर (45 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	34.7	625	21688
2	अन्य बटन आदि		45	L/S	400
3	मजदूरी	दिहाडी	45	275	12375
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5 रु. प्रति		45	5	225
	कुल				**34688**
ग) बच्चों के सेट (180 प्रति माह)					

1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	54	625	33750
2	अन्य बटन, इलास्टिक आदि		180	L/S	900
3	मजदूरी	दिहाडी	45	275	12375
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पेकजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 4 रु. प्रति		180	4	720
	कुल				**47745**
घ) जुराब (240 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	12	625	7500
2	कच्चा माल नायलॉन धागा	किलोग्राम	24	250	6000
3	मजदूरी	दिहाडी	30	275	8250
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 3 रु. प्रति		240	3	720
	कुल				**22470**
ड) टोपी (240 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	35	625	21875
2	मजदूरी	दिहाडी	30	275	8250
3	औसत खर्चा रेपियर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली, परिवहन खर्चा इत्यादि 3 रु. प्रति		240	3	720
	कुल				**30845**
	योग				**167498**
	योग कुल आवर्ती लागत (167498+1500)				**168998**
	आवर्ती व्यय (आवर्ती लागत-मजदूरी) = 168998-53625				**115373**
	कुल व्यवसाय योजना लागत (पूंजीगत व्यय+आवर्ती व्यय) =274000+115373				**389373**

(स) उत्पादन में लागत (एक चक्र के लिए)

क्र. सं.	विवरण	धनराशी
1	कुल आवर्ती व्यय	115373
2	पूजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	2283
	योग	**117656**

(द) विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन (प्रतिचक्र) :

क्र.सं.	वस्तु का नाम	संख्या	मजदूरी	औसत अन्य खर्चे	कुल धन राशी	प्रति नग लागत	आपेक्षित उत्पादन की मात्रा
1	कोटी	45	12375	19375	31750	706	45

2	स्वेटर	45	12375	22313	34688	771	45
3	बच्चों के सेट	180	12375	35370	47745	265	180
4	जुराबे	240	8250	14220	22470	94	240
5	टोपी	240	8250	22595	30845	129	240
	योग	**750**	**53625**	**113873**	**167498**		

- तैयार वस्त्रों/सेट्स की संख्या मात्र सांकेतिक है जिसकी संख्या मांग के आधार पर तय होगा।

	निर्धारित लाभ तथा कार्य से अनुमानित आमदनी					
		वस्तु संख्या	लागत (श्रम + खर्चे)	प्राप्य/विक्रय राशि	लाभ %	कुल राशि
1	कोटी	45	706	1000	41	45000
2	स्वेटर	45	772	1150	49	51750
3	बच्चों के सेट	180	263	375	42	67500
4	जुराबे	240	95	125	31	30000
5	टोपी	240	129	175	36	42000
	योग	**750**				**236250**

12. उद्यम हेतु लागत – लाभ विश्लेषण (एक चक्र के लिए) :

क0स0	**मद**	**धनराशि (रू)**
1	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास (अ)	2283
2	**आवर्ती व्यय**	
क	किराया	1000
ख	परिवहन	500
ग	कच्चा माल धागा	111263
घ	मजदूरी	53625
ड	औसत खर्चा रिपेयर मशीन , पैकेजिंग ,स्टीकर , बिजली खर्चा इत्यादि	2610
	योग	**171281**
3	कुल उत्पादन संख्या	750
5	उत्पादन की बुनाई की विक्री से प्रति माह आय	236250
6	कुल लाभ = 236250 – (2283+171181)	62786
7	उत्पाद की बुनाई से सकल लाभ = कुल लाभ +मजदूरी एवं कमरा किराया = 62786+ 53625 + 1000	117411
8	एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतु उपलब्ध धनराशी = उत्पाद की बुनाई से आय का 50% – (मूलधन व ब्याज वापसी + दुसरे चक्र	-1908

	हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय – मजदूरी) =118125 – (4500+160 +168998– 53625)	

- यह धनराशी मजदूरी व किराये की धनराशी के अतिरिक्त है। शुद्ध लाभ प्रति सदस्य का वितरण सदस्यों के मध्य सहमत अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

13. धन की आवश्यकता

समूह की वित्तीय आवश्यकता :

क0स0	मद	धनराशी (रु)
1	पूंजीगत व्यय	274000
2	आवर्ती व्यय का 50%	57686
	योग	**331686**

14. समूह के वित्तीय संसाधन :

क0स0	संसाधन का विवरण	धनराशी
1	पूंजीगत व्यय पर परियोजना द्वारा सहायता राशि	205500
2	लाभार्थी अंश	68500
3	समूह की आंतरिक बचत	6000
	योग	**280000**
	अतिरिक्त राशि की आवश्यकता = 331686-280000	**51686** **0r say=51700**

1. अतिरिक्त राशि कम होने के कारण समूह इस राशि का प्रबंध नकद व जमा राशि में से करेगा।

15. सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन पॉइंट) की गणना :

ब्रेक ईवन पॉइंट = पूंजीगत व्यय / प्रत्येक सेट की सिलाई पर वचत

= 274000/860 =319 दिन अथवा लगभग दस माह

उपरोक्त अनुपात में विभिन्न प्रकार के 750 सेट बुनाई करके देने पर ब्रेक ईवन पॉइंट 319 दिनों में प्राप्त होगा अर्थात इस गतिविधि में लगे पूंजीगत लागत को लगभग दस महीनों में प्राप्त किया जा सकेगा।

16. धनराशी की व्यवस्था :

आवश्यकतानुसार 51700/- की राशी के अंतर को यदि महिलाएं बैंक से ऋण लेती हैं तो इस राशी के मूलधन व ब्याज के भुगतान का अनुमानित ब्योरा निम्न प्रकार से होगा:-

क0	माह	ऋण वापसी	संचय	अवशेष ऋण

स0		मूल धन	कुल ब्याज	परियोजना द्वारा 5 % ब्याज देय	समूह द्वारा ब्याज 7% देय	समूह द्वारा प्रति माह देय किश्त	कुल मूल धन वापसी	ऋण वापसी	मुल धन	12 प्रतिशत ब्याज	कुल
1	माह 1								51700	517	52217
2	माह 2	4285	517	215	302	4802	4500	2500	47415	474	47890
3	माह 3	4302	474	198	277	4777	4500	5000	43113	431	43544
4	माह 4	4320	431	180	251	4751	4500	7500	38793	388	39181
5	माह 5	4338	388	162	226	4726	4500	10000	34454	345	34799
6	माह 6	4356	345	144	201	4701	4500	12500	30098	301	30399
7	माह 7	4375	301	125	176	4676	4500	15000	25723	257	25980
8	माह 8	4393	257	107	150	4650	4500	17500	21330	213	21544
9	माह 9	4411	213	89	124	4624	4500	20000	16919	169	17088
10	माह 10	4430	169	70	99	4599	4500	22500	12490	125	12615
11	माह 11	4448	125	52	73	4573	4500	25000	8042	80	8122
12	माह 12	4466	80	34	47	4547	4500	4354	0	0	0
13	माह 13	3575	0	0	0	2200	2200	0	0	0	0
	योग	51700	3301	1375	1925	53625	51700	0	0	3301	0

क) समूह की महिलाएं पूंजीगत लागत में तथा आवर्ती लागत के लाभार्थी के अंश को जमा राशि में से तथा नकद राशि के रूप में नकद इकठ्ठा करेंगी अथवा बैंक से ऋण ले कर करेंगी या रिवॉल्विंग फण्ड का उपयोग करेंगी , या बैंक से ऋण लेंगी ।

ख) पहले माह केवल आधा उत्पादन किया जायेगा । जैसे जैसे बुनाई का काम बढ़ेगा, वे आवर्ती व्यय को भी वाचत में से या नकद जमा कर के बाज़ार से खरीददारी करेंगी ।

ग) परियोजना द्वारा 5% व्याज सीधे बैंक को चुकाया जायेगा जो कि 1375/- रु. बनता है । यह भी समूह की वचत में जुड़ेगा ।

17. स्वयं सहायता समूह के नियम

1. समूह का काम : गरम धागों से वस्त्रों की बुनाई।
2. समूह का पता : गाँव बिष्ट बेहड़ , डाकघर सेऊबाग, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश I
3. समूह के कुल सदस्यः 13
4. समूह के गठन की तिथि : 12.03.2021
5. समूह में हर 100 रूपए के ऋण पर 2 रूपए ब्याज होगा
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 5 तारीख को होगी
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेगे I
8. स्वय सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा
9. स्पवय सहायता समूह का खाता पंजाब नेशनल बैंक, सेऊबाग शाखा में खोला गया है तथा खाता संख्या 243000100210874 है!
10. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी
11. समूह में जो बचत की राशी जमा नही करवाते या 3 बेठको तक समूह से गेर हाज़िर रहते है तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाऐगा
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगेर गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होगे तो खर्च मिल कर देना होगा
13. स्वय सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाऐगे I
14. प्रधान व सचिव बैक से लेन देन कर सकते है यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा I
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरूद्व कोई काम नही करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेगे I
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकती है अन्यथा नही I
17. ऋण का उदेश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशी होनी चाहिए
19. स्वय सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यो के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए
20. बड़े ऋण लेने वालो को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी I

21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यो को मिलना चाहिए I
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशी समूह में बाटी जाएगी I
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field TechnicIl Unit) के कार्यालय में देनी होगी I

समूह का सहमती पत्र एवं स्वीकृति

आज दिनाकं 11.12.2021 को शक्ति स्वयं सहायता समूह (बिष्ट बेहड़ उप-समिति) की बैठक हुई। बैठक में प्रधान श्रीमती पुष्पा की अध्यक्षता में हुई जिसमे समूह के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आय बढाने के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी आदि की बुनाई करने के लिए **हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना** (जाईका वित्तपोषित) से जुड़ने की सहमती प्रदान करते है तथा उपरोक्त परियोजना की सहायता से सभी सदस्यों द्वारा चयनित की गई गतिविधि जो कि बुनाई है, को इसकी व्यवसाय योजना के अनुसार या बाज़ार की मांग के अनुसार सभी सदस्य मिलजुल कर सफल बनायेंगे।

समूह के सचिव के हस्ताक्षर

Meena

President Secretary
Shakti Self Help Group
Bisht Behar PO. Rais Kullu (HP)

समूह के प्रधान के हस्ताक्षर

Pushpa

President Secretary
Shakti Self Help Group
Bisht Behar PO. Rais Kullu (HP)

फील्ड तकनीकी यूनिट (FTU)
वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली ।

प्रधान,
बिष्ट बेहड़ उपसमिति
(जैव विविधता प्रबंधन कमेटी, कराडसू)

प्रधान सचिव खजांची
बिष्ट बेहड जैव विविधता प्र० समिति
तहसील व जिला कुल्लू (हि०प्र०)

स्वीकृत

Divisional Management Unit Officer
cum Divisional Forest Officer
Wild Life Division, Kullu

कुल्लू मंडलीय प्रबंधन इकाई (DMU)
वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू

स्वयं सहायता समूह शक्ति (बिष्ट बेहड़ उप- समिति) सदस्य

Smt. Pushpa-President	Smt. Meena-Secretary	Smt. Dassi Devi-Cashier	Smt. Geeru Devi
Smt. Doma Devi	Smt. Kamla Devi	Smt. Kalpana	Smt. Hima Devi
Smt. Sapna	Smt. Chandra	Smt. Tushla	Smt. Kaushalya
Smt. Anjali Thakur	....	....	....